Dr. Honey Sinha
Assistant professor
Dept. of Commerce
Sub : Business Organisation (B.O)
Subsidiary.
SNSRKS College Saharsa

B. Com part - 1st

Introduction :- साझेदारों के अधिकार
(RIGHTS OF PARTNERS)

साझेदारों के अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :-

(1) सामान्य अधिकार जो अनुबन्ध द्वारा बदले नहीं जा सकते, तथा
(2) वे अधिकार जो अनुबन्ध द्वारा बदले जा सकते है।

(1) सामान्य अधिकार जो अनुबन्ध द्वारा बदले जा सकते :-

ये वो अधिकार है जो एक साझेदार को दूसरे साझेदार के विरुद्ध प्राप्त होते हैं और जिन पर विपरित आशय के अनुबन्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे अधिकार निम्न प्रकार है :-

(i) न्यायपूर्ण और विश्वासयुक्त व्यवहार — प्रत्येक साझेदार अन्य साझेदारों से न्यायपूर्ण और विश्वासयुक्त व्यवहार पाने की आशा रखने का अधिकार रखता है।

(2)

(ii) साझेदारी सम्बन्धी तथ्य जानना :- प्रत्येक साझेदार को अपने दूसरे साथी साझेदारों से साझेदारी सम्बन्धी प्रत्येक तथ्य को जानने और पूछने का अधिकार है जिसे वह स्वयं नहीं जानता।

(iii) कपटपूर्ण व्यवहार से क्षतिपूर्ति करना :- यदि किसी साझेदार को अपने साझेदार या साझेदारों के कपटपूर्ण व्यवहार के कारण कोई हानि हुई है तो वह उसकी क्षतिपूर्ति कराने का अधिकारी है।

(iv) बिना सर्वसम्मति के फर्म में परिवर्तन नहीं :- साझेदारी कारोबार बिना सर्वसम्मति के कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अतः इस प्रकार का परिवर्तन बिना उसकी सहमति से सम्भव नहीं है।

(v) आपातिकाल में अधिकार :- आपातिकाल (Emergency) में प्रत्येक साझेदार को वह सभी कार्य करने का अधिकार है जिसमें फर्म की हानि से रक्षा हो और जिसे एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी समान दशाओं में स्वयं अपने मामले में करता है।

(2) अधिकार जो अनुबन्ध द्वारा बदले जा सकते हैं :-

(i) व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार :-

(3)

प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन मे भाग लेने का अधिकार है चाहे उसने कितनी भी पूँजी क्यो न लगाई हो।

(ii) राय प्रकट करने का अधिकार :- प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय से सम्बन्धित प्रत्येक विवादयुक्त विषय को समझने और उसके सम्बन्ध मे अपनी राय प्रकट करने का अधिकार होता है।

(iii) बहियो का निरीक्षण करने का अधिकार :- प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय से सम्बन्धित प्रत्येक विवाद युक्त विषय को समझने और फर्म की पुस्तके तक पहुचने, निरीक्षण करने का अधिकार है।

(iv) लाभ मे हिस्सा पाने का अधिकार :- प्रत्येक साझेदार को फर्म द्वारा अर्जित लाभ मे समान हिस्सा पाने का अधिकार है।

(v) लाभो मे से पूँजी पर ब्याज पाने का अधिकार :- यदि कोई साझेदार अनुबंध द्वारा लगाई गई पूँजी पर ब्याज पाने का अधिकारी है तो वह केवल लाभो मे से ही देय होगा।

(vi) पूँजी के अतिरिक्त ऋण पर ब्याज - यदि कोई साझेदार फर्म के कारोबार मे हिस्से से अतिरिक्त पूँजी ऋण के रूप मे लगाता है तो वह उस

अतिरिक्त पूंजी पर 6% की वार्षिक दर से ब्याज पाने का अधिकारी होगा।

(vii) क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार :- यदि किसी साझेदार को फर्म के कारोबार के उचित संचालन में एवं फर्म को किसी अकस्मात संकट से बचाने में कोई हानि उठानी पड़ती है, तो फर्म उस क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगी।

(viii) फर्म की सम्पत्ति पर अधिकार :- फर्म कि सम्पत्ति पर सभी साझेदारों का सम्मिलित अधिकार होता है।

(ix) साझेदारी से अलग (Outgoing) होने का अधिकार प्रत्येक साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति से साझेदारी से अलग होने का अधिकार रखता है।

(x) साझेदारी से न निकले जाने का अधिकार :- कोई भी साझेदार बहुमत द्वारा साझेदारी से निकाला जा सकता है। यह तभी सम्भव है जबकि उन साझेदारों ने सद्भावना (Good faith) से व्यवहार करके उसे निकालने का निर्णय किया हो।

(xi) साझेदारी से अलग (Outgoing) हुए साझेदार को प्रतिस्पर्द्धात्मक कारोबार करने का अधिकार :-

प्रत्येक साझेदार को जो फर्म से अलग हो चुका है, प्रतिस्पर्द्धात्मक कारोबार करने का अधिकार है। किन्तु उसको फर्म का नाम प्रयोग करने या अपने को फर्म का प्रतिनिधि दिखाने एवं फर्म के उस समय के ग्राहकों को तोड़ने का अधिकार नहीं है, जबकि वह फर्म में साझेदार था।

(xii) साझेदारी से अलग होने पर लाभ और ब्याज पाने का अधिकार :- यदि किसी साझेदार को फर्म से अलग कर दिया जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे साझेदार को या उसके उत्तराधिकारी को यदि उसका हिसाब पूर्णतया चुकता नहीं हुआ है तो अपने हिस्से का लाभ तथा शेष सम्पत्ति एवं पूँजी पर कम से कम 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। परन्तु यदि शेष साझेदारों ने अलग हुए साझेदार के हिस्से को क्रय कर लिया है तो ऐसे साझेदार या उसके उत्तराधिकारी को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

The end

Dr. Honey Sinha
Assistant professor
Dept. of Commerce
SNSRKS College
Saharsa

—x—